



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 741]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2008/ज्येष्ठ 9, 1930

No. 741]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2008/JYAISTHA 9, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2008

का.आ. 1272(अ).—दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 4 और 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) में पद का कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रो. के. टी. रविन्द्रन को अध्यक्ष (अंशकालिक) तथा प्रो. (श्रीमती) नयनजोत लाहिड़ी, प्रो. मोहम्मद शाहीर एवं श्री रतिश नन्दा को सदस्य (अंशकालिक) के रूप में नियुक्त करती हैं। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (डी एल)/निदेशक (दिल्ली प्रभाग), को भी दिल्ली नगर कला आयोग का पदेन सदस्य नामित किया जाता है।

[सं. ए-11013/7/2003-डीडीए]

एन. टी. जोसेफ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2008

S.O. 1272(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 5 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby appoints Prof. K.T. Ravindran, as Chairman (Part Time) and Prof. (Smt.) Nayanjot Lahiri, Prof. Mohammad Shaheer and Shri Ratish Nanda as Members (Part Time) in the Delhi Urban Art Commission (DUAC), for a period of three years from the date of assumption of the charge of the post, or until further orders, whichever is earlier. Joint Secretary (DL)/Director (DD) in the Ministry of Urban Development, Govt. of India, is also nominated as ex-officio Member of the DUAC.

[No. A-11013/7/2003-DDIA]

N. T. JOSEPH, Under Secy.